मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 16-59/2003/2/34 भोपाल, दिनांक

प्रति,

1. प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं गामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल
2. समस्त संभागीय आयुक्त
3. प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल
4. समस्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
5. समस्त कलेक्टर
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
7. समस्त आयुक्त /मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर निगम/नगर पालिका

विषयः- जिला स्तर पर कृत्यों दायित्वों एवं अधिकारों को सौपा जाना पेयजल योजनाओं की समीक्षा, अनुश्रवण एवं निविदाओं का अनुमोदन ।

संदर्भः- मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग-मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ-16-7/99/2/चौतीस, भोपाल दिनांक 10.4.99

--

जिला स्तर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कृत्यों/दायित्वों के अंतरण बाबत जारी उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांक 10.4.99 को जिला सरकार की व्यवस्था समाप्त किये जाने के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

विभाग के कार्य क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण एवं नगरीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित योजनाओं (स्वजलधारा एवं समग्र स्वच्छता अभियान सहित) के कियान्वयन पर निगरानी, समन्वय एवं समीक्षा ''कार्य विभाग नियमावली-1983'' में उल्लेखित कृत्यों एव दायित्वों के अधीन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जावे । विभिन्न कार्यो एवं निविदाओं की स्वीकृति बुक ऑफ फाइनेशियल पावर्स में दर्शित वित्तीय अधिकारों की सीमा में दी जावे ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(माला श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ.क्रमांक 16-59/2003/2/34 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः-

समस्त निज सचिव/माननीय मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन की ओर मान. मंत्रीजी को अवगत कराने हेतु अग्रेषित ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग